DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

25 November 2024

आसियान–भारत माल व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) संयुक्त समिति की छठी बैठक :

सन्दर्भ: हाल ही में आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (AIFTA) संयुक्त समिति की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।

आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) के बारे में :

- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक महत्त्वपूर्ण समझौता है ।

पृष्ठभूमि:

» आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए) की शुरुआत अक्टूबर 2003 में हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते के साथ हुई। इस समझौते ने वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापार को सम्मिलित किया।

» एआईटीआईजीए 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ।

- **प्रमुख प्रावधान:** समझौते का उद्देश्य आसियान और भारत के बीच व्यापार होने वाले 76.4% वस्तुओं पर शुल्क कम करना या समाप्त करना है।

समीक्षा प्रक्रिया:

» सितंबर 2022 में दोनों पक्षों ने इस समझौते की समीक्षा शुरू की।

» समीक्षा का उद्देश्य व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाना है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

उप–समितियाँ:

» आठ उप-समितियाँ गठित की गई हैं, जोकि बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम और व्यापार उपचार जैसे क्षेत्रों पर कार्य कर रही हैं।

- **द्विपक्षीय व्यापार:** आसियान-भारत व्यापार 2023-24 में 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारतीय निर्यात में 9.96% और आयात में 34.30% की वृद्धि दर्ज की गई।

आसियान:

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी।

- **वर्तमान सदस्य देश** -इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम - इस संगठन के वर्तमान सदस्य हैं। नवंबर 2022 में, आसियान ने पूर्वी तिमोर (तिमो. र-लेस्ते) को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की और उच्च स्तरीय बैठकों में इसे पर्यवेक्षक का दर्जा दिया।

आसियान शिखर सम्मेलन :

» यह संगठन का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है। प्रथम शिखर सम्मेलन फरवरी 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ।

» वर्तमान में यह प्रतिवर्ष दो बार बैठक करता है।

महत्व :

» आसियान एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। इसके वार्ता साझेदारों में भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

भारत–आसियान संबंध:

'एक्ट ईस्ट' नीति

» आसियान भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का केंद्रीय अंग है और विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। यह नीति क्षेत्रीय आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

संबंधों का विकास

1992 में भारत-आसियान संबंध क्षेत्रीय वार्ता साझेदारी के रूप में शुरू हुए। 1995 में इन्हें पूर्ण वार्ता साझेदारी का दर्जा मिला। 2012 में इसे और सुदृढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया। 2022 में, इस साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के रूप में उन्नत किया गया।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

25 November 2024

आर्थिक सहयोग और व्यापार लक्ष्य

» भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। वर्तमान में, आसियान भारत का पाँचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

भारत और मालदीव के बीच स्थानीय मुद्रा उपयोग समझौता :

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) ने सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्राओं - भारतीय रुपया (INR) और मालदीव रूफिया (MVR) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच चालू खाता लेन-देन, स्वीकार्य पूंजी खाता लेन-देन और अन्य आर्थिक और वित्तीय लेन-देन में INR और MVR के उपयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।

इस समझौते के रणनीतिक उद्देश्य:

» स्थानीय मुद्राओं का उपयोग, भारत की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये को बढ़ावा देना है।

» मालदीव, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत के साथ पर्यटन और व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है, के लिए सीमा पार लेन-देन में एमवीआर का उपयोग करने से मुद्रा परिवर्तन लागत में कमी आती है और इसकी वित्तीय प्रणाली में स्थिरता आती है।

» भारत, मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और दोनों देशों के पर्यटन, व्यापार और विकास सहायता में मजबूत संबंध हैं। स्थानीय मुद्रा ढांचे के माध्यम से लेन-देन की दक्षता में सुधार, लागत में कमी और वित्तीय पारदर्शिता में वृद्धि से इन संबंधों को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।

» यह पहल दक्षिण एशिया में व्यापक वित्तीय एकीकरण में योगदान करती है।

स्थानीय मुद्रा लेनदेन के लाभ :

- **लेन-देन लागत में कमी:** अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरी पक्ष मुद्राओं से बचने से विदेशी मुद्रा रूपांतरण की लागत में कमी आती है, जिससे सीमा पार व्यापार में शामिल व्यवसायों को लाभ होता है।
- **तीव्र लेन-देन:** स्थानीय मुद्राएं लेन-देन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता करती हैं, मुद्रा विनिमय और निपटान प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करती हैं और व्यावसायिक संचालन को अधिक कुशल बनाती हैं।
- **विनिमय दर की अस्थिरता का स्थिरीकरण:** स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने से विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं, जिससे दोनों देशों की वित्तीय प्रणालियों में स्थिरता आती है।
- **व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि:** इस समझौते से मालदीव में और अधिक भारतीय व्यवसायों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय लेन-देन सरल होगा और पर्यटन, कृषि, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।
- **वित्तीय संप्रभुता को बढ़ावा देना:** यह समझौता सीमापार लेन-देन के लिए विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करके, डी-डॉलरीकरण के वैश्विक रुझानों के साथ मेल खाते हुए राष्ट्रीय मुद्रा संप्रभुता को समर्थन प्रदान करता है।

- **तीव्र लेन-देन:** स्थानीय मुद्राएं लेन-देन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता करती हैं, मुद्रा विनिमय और निपटान प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करती हैं और व्यावसायिक संचालन को अधिक कुशल बनाती हैं।

मुद्रा विनिमय समझौता :

» मुद्रा स्वैप समझौते में दो देशों के बीच लेन-देन के लिए मुद्राओं का आदान-प्रदान शामिल होता है।
यह समझौता व्यवसायों और व्यक्तियों को अमेरिकी डॉलर जैसी तृतीय-पक्ष मुद्राओं को दरकिनार करते हुए अपनी स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन निपटाने की सुविधा प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता में कमी आती है और विनिमय दर के जोखिम को न्यूनतम किया जाता है। इस समझौते का उद्देश्य भारत और मालदीव दोनों देशों को अपनी-अपनी मुद्राओं में सीधे लेन-देन करने में सक्षम बनाना है, जिससे वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

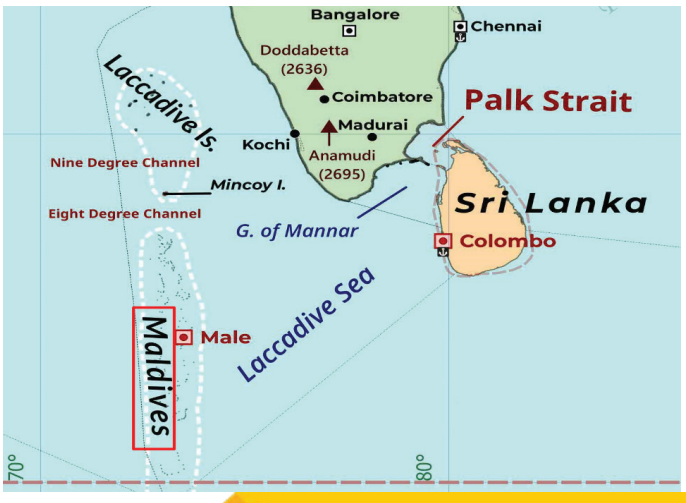

स्थानीय मुद्रा के उपयोग और मुद्रा स्वैप समझौते के बीच मुख्य अंतर:

» स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का उद्देश्य व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है, जबकि मुद्रा स्वैप समझौते का उद्देश्य तरलता प्रदान करना और विनिमय दर जोखिम को कम करना है।

» स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग में देशों के बीच प्रत्यक्ष लेन-देन शामिल होता है, जबकि मुद्रा स्वैप समझौते में विभिन्न मुद्राओं में नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान होता है।

» स्थानीय मुद्राओं का उपयोग आमतौर पर द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित होता है, जबकि मुद्रा स्वैप समझौते का उपयोग निवेश और वित्तपोषण सहित लेन-देन की व्यापक श्रेणी के लिए किया जा सकता है।

» स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग में न्यूनतम जोखिम शामिल होता है, जबकि मुद्रा स्वैप समझौते में प्रतिपक्ष(counterparty) जोखिम और विनिमय दर जोखिम शामिल होता है।

दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024:

सन्दर्भ: हाल ही में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम जारी किये गये है। यह नियम मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या छेड़छाड़ रोकथाम नियम, 2017 को प्रतिस्थापित करेंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रदान करना है।

नियमों के मुख्य प्रावधान:

डेटा संग्रहण और साझाकरण:

» केन्द्र सरकार या नामित एजेंसियाँ दूरसंचार संस्थाओं से ट्रैफिक डेटा और अन्य संबंधित जानकारी मांग सकती हैं।

» सुरक्षा उद्देश्यों के लिए डेटा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य दूरसंचार संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है।

व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए दायित्व:

व्यक्ति:

» किसी भी व्यक्ति को ऐसे संदेश भेजने या कार्य करने की अनुमति नहीं है, जिससे दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

संस्थाएँ:

» जोखिमों से निपटने, ऑडिट करने और घटना प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए साइबर सुरक्षा नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना होगा।

» उन्हें घुसपैठ जैसी सुरक्षा घटनाओं पर निगरानी रखने और उनका उत्तरदायित्व निभाने के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र **(SOC)** स्थापित करने होंगे।

» साइबर सुरक्षा प्रयासों की देखरेख के लिए संस्थाओं द्वारा एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी (**CTSO**) की नियुक्ति की जानी चाहिए। ब्ैठ का विवरण केंद्र सरकार को प्रदान किया जाना चाहिए।

घटना की रिपोर्टिंग:

रिपोर्टिंग के लिए समय-सीमा:

» दूरसंचार संस्थाओं को किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना की जानकारी मिलने के 6 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना आवश्यक है। 24 घंटे के भीतर संस्थाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी, जैसे:

» प्रभावित उपयोगकर्ताओं की संख्या।

» घटना की अवधि और भौगोलिक क्षेत्र।

» इस समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदम।

- **दंड और प्रवर्तन:** यद्यपि दुरुपयोग या अनुपालन में विफलता के लिए दंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन नियम दूरसंचार संस्थाओं के लिए सुरक्षा ढांचे और जवाबदेही तंत्र की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ:

- **दूरसंचार साइबर सुरक्षा:** यह साइबर जोखिमों से बचाव के लिए नीतियों, उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं की सुरक्षा को संदर्भित करता है।
- **दूरसंचार इकाई:** यह कोई भी व्यक्ति या संगठन हो सकता है जो दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या दूरसंचार नेटवर्क के रखरखाव में शामिल है।
- **सुरक्षा घटना:** यह कोई भी घटना हो सकती है जोकि संभावित रूप से दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

नियमों का प्रभाव:

नए नियमों का उद्देश्य सुरक्षा घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और डेटा सुरक्षा तथा घटना प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय स्थापित करके भारत के दूरसंचार क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है। हालांकि, ये नियम सरकार को दूरसंचार डेटा तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

25 November 2024

अर्जेंटीना और पेरिस समझौता: वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव

सन्दर्भ: हाल ही में अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति, जेवियर माइली के नेतृत्व में, अर्जेंटीना पेरिस समझौते से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रति संदेह और नकारात्मक दृष्टिकोण की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है ।

पेरिस समझौता :

» पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के प्रयास करना है।

» इसका फोकस ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

» जलवायु कार्रवाई बढ़ाने के लिए देशों को हर पांच साल में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत करना होता हैं।

पेरिस समझौते से हटने की प्रकिया :

» कोई भी देश पेरिस समझौते से अनुसमर्थन के तीन वर्ष बाद बाहर निकल सकता है। इसके बाद, वह संयुक्त राष्ट्र को सूचित करने के एक वर्ष बाद अपनी वापसी प्रभावी कर सकता है।

» यह प्रक्रिया औपचारिक और क्रमिक है, लेकिन यह वैश्विक जलवायु प्रयासों से अलगाव का संकेत देती है।

अर्जेंटीना वापसी पर विचार क्यों कर रहा है?

जलवायु परिवर्तन पर संदेह रखने वाले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जेवियर माइली, ने पहले जलवायु परिवर्तन को "समाजवादी झूठ" करार दिया था। वे अब पेरिस समझौते में अर्जेंटीना की भागीदारी का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। सरकार जलवायु परिवर्तन को स्वीकार करती है, लेकिन इसके कारणों को मानवीय गतिविधियों के बजाय प्राकृतिक चक्र से जोड़ती है।

अर्जेंटीना की पेरिस समझौते से वापसी के प्रभाव :

- **वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर प्रभाव:** अर्जेंटीना ग्रीनहाउस गैसों का 24वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसके हटने से ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं और अन्य देश भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- **आर्थिक एवं व्यापारिक निहितार्थ:** अर्जेंटीना में जीवाश्म ईंधन के बड़े भंडार हैं। समझौते से बाहर निकलने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे जलवायु के प्रति जागरूक व्यापार भागीदारों के लिए यह कम आकर्षक हो जाएगा। यूरोपीय संघ जैसे जलवायु-केंद्रित देशों के साथ व्यापार संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं।
- **घरेलू राजनीति और चुनौतियाँ:** अर्जेंटीना ने संवैधानिक रूप से समझौते की पुष्टि की है, इसलिए माइली को इससे बाहर निकलने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी। घरेलू विरोध इसे जटिल बना सकता है।
- **वैश्विक प्रतिक्रियाएं और चिंताएं:** जलवायु विशेषज्ञ निकोलस होह्ने ने चेतावनी दी है कि अर्जेंटीना के बाहर निकलने से वह आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ सकता है।

  इससे जलवायु-केंद्रित देशों के साथ रिश्तों में तनाव पैदा होगा और चरम मौसम घटनाओं तथा जैव विविधता की हानि जैसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के प्रयासों में रुकावट उत्पन्न होगी।

वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए निहितार्थ :

- **उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य: 1-5°C** के तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 42% तक कम करना होगा। अर्जेंटीना के हटने से यह लक्ष्य संकट में पड़ सकता है।
- **विकासशील देशों की भूमिका:** महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन भंडार वाले एक विकासशील देश के रूप में, अर्जेंटीना के हटने से हरित अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण करने वाले अन्य विकासशील देशों के लिए समर्थन कमजोर हो सकता है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

अभ्यास सी विजिल 2

हाल ही में अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण संपन्न हुआ, जोकि समुद्री सुरक्षा पर भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- **इस अभ्यास में देश के 11,098 किलोमीटर लंबे समुद्र तट और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल किया गया। इसमें छह मंत्रालयों की 21 से अधिक एजेंसियों ने भाग लिया, जिनमें भारतीय नौसेना, थल सेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, राज्य समुद्री पुलिस,**

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

25 November 2024

- इस अभ्यास में 550 से अधिक समुद्री संपत्तियों की तैनाती और 60 हवाई उड़ानें शामिल थीं, जो 200 उड़ान घंटों के बराबर थीं। मुख्य चरण से पहले, सात दिवसीय तटीय रक्षा और सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन (सीडीएसआरई) के तहत मछली पकड़ने के केंद्रों, लाइटहाउस, बंदरगाहों और अपतटीय संपत्तियों जैसे 950 महत्वपूर्ण तटीय स्थानों का ऑडिट किया गया।
- प्रमुख ध्यान क्षेत्रों में तेल रिग, बंदरगाहों और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित करना शामिल था। इसमें अपहरण और जहाज के मार्ग को बदलने जैसे अभ्यास भी किए गए। मछली पकड़ने वाले समुदायों और युवा समूहों ने सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे जमीनी स्तर पर समुद्री सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी।

  2018 में अपनी शुरुआत के बाद से सी विजिल भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2024 के संस्करण ने अंतर-एजेंसी समन्वय और तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ किया, जिससे भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प की पुनः पुष्टि हुई।

ग्वालियर में भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला का शुभारंभ

- हाल ही में ग्वालियर की आदर्श गौशाला ने अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट के साथ देश की पहली आत्मनिर्भर और आधुनिक गौशाला स्थापित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित यह सुविधा ग्वालियर नगर निगम द्वारा संचालित है और लालटिपारा में स्थित है। यह गौशाला 10,000 से अधिक मवेशियों के प्रबंधन के साथ "वेस्ट टू वेल्थ" पहल का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है।

Gwalior Unveils India's First Self-Sufficient Gaushala with a State-of-the-Art CBG Plant

- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 31 करोड़ रुपये की लागत से 5 एकड़ भूमि पर निर्मित इस प्लांट में प्रतिदिन 100 टन गोबर का प्रसंस्करण किया जाता है, जिससे 2-3 टन संपीड़ित बायोगैस और 10-15 टन जैविक खाद का उत्पादन होता है। यह प्लांट सब्जियों और फलों के कचरे का भी उपयोग करता है, साथ ही जैविक कचरे को संसाधित करने के लिए विंडरो कंपोस्टिंग को भी परियोजना में जोड़ा गया है।
- यह अभिनव पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन में कमी और जैविक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्थिरता को सशक्त करती है। साथ ही, यह स्थानीय किसानों के लिए सस्ती जैविक खाद उपलब्ध कराते हुए हरित ऊर्जा प्रथाओं में कौशल विकास और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करती है। ग्वालियर की यह आत्मनिर्भर गौशाला स्थिरता और नवाचार का एक प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत करती है।

वाशिंगटन में पीएम मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित

- हाल ही में भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यकों का संघ (AIAM), एक नवगठित गैर-सरकारी संगठन, का औपचारिक उद्घाटन 22 नवंबर, 2024 को मैरीलैंड के स्लिगो सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट चर्च में किया गया। AIAM का उद्देश्य भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय के अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करना और उनके सामाजिक- आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए प्रतिष्ठित डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, जिसमें समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण को प्रोत्साहित करने में पीएम मोदी के प्रयासों को मान्यता दी गई।
- AIAM का उद्देश्य भारतीय अमेरिकियों के बीच एकता को मजबूत करना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में उनके योगदान को बढ़ावा देना है। संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध सिख परोपकारी जसदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। उन्हें विविध अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्यीय निदेशक मंडल का समर्थन प्राप्त है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com